

उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

परिपत्र सं० सी-101/तकनीकी प्रकोष्ठ/सो०फो०वा०प०सिं०/फर्म मान्यता/2016-17 दिनांक-26.12.16

समस्त शाखा प्रबन्धक

उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०

उत्तर प्रदेश

विषय- सोलर फोटो वोल्टिक वाटर पम्पिंग सिस्टम में ऋण वितरण हेतु फर्म की मान्यता के सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं०-सी-96//तकनीकी प्रकोष्ठ/सो०फो०वा०प०सिं०/फर्म मान्यता/2016-17 दिनांक -04.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा फर्म मे० शक्ति पम्पस (I) लि० धार,(म०प्र०) को सोलर फोटो वोल्टिक वाटर पम्पिंग सिस्टम हेतु बैंक से व्यवसाय करने की मान्यता प्रदान की गयी थी। मे० शक्ति पम्पस (I) धार,(म०प्र०) द्वारा उक्त कार्य को सम्पादित करने के लिये कम्पनी के प्रतिनिधि श्री सतीश मौर्या, मोबाइल नं० 8052888800 एवं श्री उमाशंकर मिश्रा मोबाइल नं० 9453652630 से सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मे० जायसवाल बैट्री सर्विस, 11 चर्च बिल्डिंग हजरतगंज लखनऊ को भी सोलर फोटो वोल्टिक वाटर पम्पिंग सिस्टम हेतु बैंक से व्यवसाय करने की मान्यता प्रदान की जाती हैं। मे० जायसवाल बैट्री सर्विस द्वारा उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए कम्पनी के प्रतिनिधि श्री विनय तायल, मोबाइल नं०-9119900340 एवं श्री अतुल सक्सेना मोबाइल नं०-8400300594 से सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०-

(श्रीकान्त गोस्वामी)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई०टी०सेल),उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. मे० जायसवाल बैट्री सर्विस, 11 चर्च बिल्डिंग हजरतगंज लखनऊ-226001

ह०-

(अजयपाल सिंह)

महाप्रबन्धक(तक०)